

आदेश

श्री चन्द्र भान पुत्र श्री मांगेराम, पंच, ग्राम पंचायत खरड, वार्ड नं० 05 खण्ड हिसार-1, जिला हिसार द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 18.04.2025 जो उपायुक्त, हिसार के सिफारिश पत्र क्रमांक/चुनाव सहायक/पंचायत/2025/1657 दिनांक 14.05.2025 द्वारा प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
10.06.2025

दुष्मंता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए००२-2025/ 26952-58 दिनांक : 17/6/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, हिसार को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक/चुनाव सहायक/पंचायत/2025/1657 दिनांक 14.05.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हिसार।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हिसार-1 (जिला हिसार)।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत खरड, खण्ड हिसार-1, जिला हिसार।
6. श्री चन्द्र भान पुत्र श्री मांगेराम निवासी गांव खरड, तहसील हिसार-1, जिला हिसार।
7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।

Sh. Govind/Sh. Mohit


सहायक निदेशक
कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।